

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

दिना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
19/23	212 RTA	कडैयानोहर	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
रघुनाथ	बनाम	रामकल्याण वर्मा	

वकील :- श्री भानु कुमार गुप्ता

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
16/23	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 21/8/23 को पेश हो।</p>	2023/78
21-9-23	<p>पत्रावली जयें हे छिद्र की जा रही पत्र जान पेश इसके कमील जयें उक्त इजाजत गप तलवी हे तलवान पेश केटा पत्रावली वाहि तलवी दिनांक 9-11-23 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)</p>	
9-11-23	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 10-1-24 को पेश हो।</p> <p>रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)</p>	
10.1.24	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में (पंचापर उप चुनाव) व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 1-3-24 को पेश हो।</p> <p>रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)</p>	
9-4-24	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 22-5-24 को पेश हो।</p> <p>रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)</p>	

पत्रावली पेश हुई। नकुलार करीकोठ उपा. वकालतवाला।
जवाब पेश नहीं हुआ। स्टाफ जाहते थे पत्रावली करि
वकालतवाला। जवाब दिनांक 17-2-25 को पेश हो

1-2-25

अवकाश
आज पीठासीन अधिकारी के अभाव में
स्वस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में
दिनांक 01-04-25 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छवड़ (बारा)

1-4-25

पत्रावली पेश हुई। नकुलार करीकोठ उपा. कर्जारी को
183 की ओर है श्री केशव कुमार तैय्या एस. का वकालतवाला
पेश हुआ। कर्जारी को 4.5 लाख रुपय के नामा
के उपर नहीं खे के कारण उनके विरुद्ध एक माल
कार्यवाही की जागी थी पत्रावली करि जवाब दिनांक
19-5-25 को पेश हो

19.5.25

पत्रावली पेश हुई। नकुलार करीकोठ उपा. वकील प्रार्थी
प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इसी
तर पर प्रकरण के Not press करना चाहते हैं।
प्रकरण Not press के खारिज किया जाता है। पत्रावली
दिनांक शुक्र होकर साखिल सुपर हो

सुपर